

कार्यालय नगर पंचायत, नोखा, जिला- रोहतास

पत्रांक.....दिनांक.....

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नोखा

सेवा में,

महालेखाकार,
शहरी स्थानीय निकाय,
बिहार,पटना

विषय :- अंकेक्षण प्रतिवेदन का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय अर्द्ध सरकारी पत्रांक -4234 दिनांक 29.12.2014।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत नोखा से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-793/2008-09,18/2012-13 एवं 440/2013-14 की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-23.12.2014 की नगर पंचायत नोखा की सामान्य बैठक में अनुमोदन प्राप्त है। जिसे अग्रेतर कारवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनुलग्नक :-

1.अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-793/2008-09,
18/2012-13 एवं 440/2013-14।

विश्वासभाजन

हो —

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नोखा

ज्ञापांक :- 10 दिनांक :- 8.1.15

प्रतिलिपि :-सरकार के विशेष सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,पटना सूचनार्थ प्रेषित ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नोखा

8.1.15

कार्यालय- नगर पंचायत, नोखा, जिला- रोहतास

अंकेक्षण संख्या :- 793/2008-09

अवधि वर्ष- 2005-06 से 2007-08 तक

क्रम संख्या	कड़िका संख्या	आपत्ति का विवरण	आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत नोखा का जवाब	अंकेक्षण अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	13	वसूली लेखा/प्रत्यक्ष विनियोजन	NR No. 694 से 771.00 रु0 की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जा चुकी है।	
2	14	मोबाईल टावर शुल्कों की कम वसूली	सरकार द्वारा नया अध्यादेश लागु किये जाने के पश्चात निर्धारित दर से वसूली की जा रही है।	
3	15 (क)	मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में मुद्रांक शुल्क की राशि वसूली की जा रही है। राशि वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।	
4	19	योजनाओं में अधिक भुगतान	वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	
	20	संदेहास्पद कार्य	भवदीय द्वारा अंकेक्षण में दर्शाये गये आपत्ति में 31.12.2005 को कार्यादेश एवं एकरारनामा निर्गत किया गया है। परन्तु अभिकर्ता द्वारा कार्यादेश से पूर्व अर्थात 25.12.2005 को सामान क्रय की गई है। इस क्रय में कहना है कि कार्य अभिकर्ता द्वारा सही समय पर किया गया है। जिसकी मापी कनीय अभियुता द्वारा मापी पुस्त में अंकित की गई है जहाँ तक अभिश्रव की तिथि एवं कार्यादेश की तिथि में अंतर का प्रश्न है ऐसा प्रतीत होता है कि अभिश्रव की निर्गत तिथि गलत अंकित हो गया जिससे कार्यवाहक सहायक द्वारा तिथि पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः संदेहास्पद कार्य से अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त करना चाहेंगे।	
6	21	योजनाओं का संदेहास्पद कार्यान्वयन। अधिक भुगतान	योजना संख्या 1, 2/2005-06 योजना के संदेहास्पद कार्यान्वयन एवं अधिक भुगतान के संबंध में कहना है कि योजना संख्या 2/2005-06 में वेट मो0-6099.00 रु0 की कटौती नहीं की गई है। इस संबंध में कहना है कि ईट बालु चिप्स सिमेंट में विक्री दर की कटौती नहीं की गई है। संबंधित अभिश्रव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दुकानदार के केश मेमो पर वेट न0 अंकित है। वेट न0 अंकित रहने के कारण स्पष्ट होता है कि दुकानदार द्वारा वेट की कटौती कर ली गई है। जिस कारणवश अभिलेख में भुगतान के समय वेट कटौती नहीं किया गया है। जहाँ तक मास्टर सॉल नमुना के जॉब के क्रम में पाई गई त्रुटि का प्रश्न है। इस संबंध में संबंधित अभिकर्ता को नोटिस की कार्रवाई की जा रही है।	

7	22	योजनाओं का संदेहास्पद कार्यान्वयन। अधिक भुगतान	कडिका 22 में आपत्ति में दर्शाया गया है कि 100 वर्गफीट पी0सी0सी0 कार्य हेतु 15 मिस्त्री एवं 12 मजदुर की आवश्यकता होती है। अर्थात 960 वर्गफीट कार्य हेतु 15 मिस्त्री एवं 116 मजदुर की आवश्यकता थी। पारित विधन के द्वारा 84 मिस्त्री एवं 189 मजदुर दिवस का भुगतान मास्टर रॉल से किया गया है। जो अंकेक्षण आपत्ति से अधिक दिखाया गया है। इस संबंध में कहना है कि अभिलेख में मापीपुस्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 84 मिस्त्री एवं 189 मजदुर द्वारा कार्य किया गया है। उक्त आधार पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के प्रतिवेदन एवं मास्टर रॉल के आधार पर भुगतान किया गया। जहाँ तक मास्टर रॉल में मजदुर एक ही तिथि में वही मजदुरों का नाम तीन पृष्ठों में दिखाया गया है। यूँकि कनीय अभियंता द्वारा मास्टर रॉल को सत्यापित किया गया है। सत्यापन के आधार पर भुगतान किया गया है। इस संबंध में कनीय अभियंता को आगे से विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जाय।	
8	23	ईट की खरीद दरों में अंतर के कारण अधिक भुगतान	अंकेक्षण की कडिका 23 में ईट दर की खरीद में योजना संख्या 25/05-06 एवं योजना संख्या 29/05-06 में ईट की खरीद दर में अंतर दिखाया गया है। इस संबंध में योजना सं0 25/05-06 एवं योजना सं0 29/05-06 के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभिलेख योजना संख्या 25/05-06 में ईट का दर 2394.50 रू0 दिखाया गया है जो भाड़ा सहित है। योजना सं0 29/05-06 में ईट का दर 1851.00 रू0 दर्शाया गया है जो भाड़ा सहित है। इस दर में भाड़ा का अंतर राशि जोड़ने पर 2394.50 रू0 की दर के समतुल्य होता है। अतः दोनों की तुलनात्मक विवरणी से स्पष्ट होता है कि अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इस कडिका को अंकेक्षण से मुक्त किया जाय।	

OR

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोड
बनारस

कार्यालय- नगर पंचायत, नोखा, जिला- रोहतास

अंकेक्षण संख्या :- 18/2012-13

अवधि वर्ष - 2008-09 से 2010-11 तक

क्रम संख्या	कॉडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत नोखा का जवाब	अंकेक्षण अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	1	प्रस्तावना	सामान्य सूचना, कॉडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
2	2	प्रशासन	सामान्य सूचना, कॉडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
3	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	सामान्य सूचना, कॉडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	सामान्य सूचना, कॉडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
5	5	आंतरिक लेखा परीक्षा	अनुपालन किया जायेगा।	
6	6	महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धि	सूचनार्थ निराकरण किया जा रहा है। कॉडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
7	7 (क)	अधिदृश्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. निदेश के आलोक में अनुपालन किया जायेगा। 2. सरकार के निदेश के आलोक में द्वादस वित्त अयोग योजना अन्तर्गत राशि का संधारण अलग खाता में किया जाना है। मो0- 844846.00 रू0 की राशि कोषागार से विपत्र के माध्यम से राशि निकाली की गई। उस वक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन संधारित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक शाखा कोर बैंकिंग नहीं होने के कारण एस0बी0आई0 खाता संख्या- 11735874202 में स्थानान्तरित की गई इसके बाद सम्बंधित मद में यह राशि स्थानान्तरित की गई। 3. सूचनार्थ कॉडिका निरस्त किया जा सकता है। 	
8	7 (ख)	अंतिम अवशेष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभिन्न खातों की अवशेष स्थिति 31.03.2011 को 19871729.87 रू0 अंकित की गई है एवं दिनांक 31.03.2011 को शीर्षवार रोकण बही के आधार पर अंतिम राशि 20721932.97 रू0 अंकित किया गया है। दोने के मिलान के पश्चात 850203.10 रू0 है। जबकि भवदीय द्वारा अंतर के रूप में 1891499.90 रूपया दर्शाया गया है जो मो0- 850203.00 अंतर में अग्रिम के रूप में है एवं 0.10 रू0 सिंगल लॉक में है। 2. सूचनार्थ कॉडिका निरस्त किया जा सकता है। 	
9	8	बजट प्राक्कलन	अनुपालन किया जा रहा है।	
10	9	सरकारी अनुदान	अनुपालन किया जा रहा है। कॉडिका निरस्त किया जा सकता है।	


OK

(Handwritten signature)

11	10	द्वार्ष वित्त आयोग अनुदान राशि का अवरोधन (₹0-12.72 लाख)	अनुपालन किया जायेगा।
12	11	प्रशासनिक भवन अनुदान राशि का अवरोधन (₹0-28.88 लाख)	प्रशासनिक भवन हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है। सक्षम स्तर से प्रशासनिक भवन निर्माण करने के लिए निविदा प्रकाशित किया गया है। नगर पंचायत द्वारा इस राशि को स्थानान्तरित किया जा चुका है।
13	12	स्वीकृति बल एवं कार्यबल	घटनोत्तर स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सुचनार्थ कंडिका निरस्त किया जा सकता है।
14	13	गृहकर का अधिकरोपन कम / नहीं किया जाना	निदेश के आलोक में गृहकर (सम्पत्ति कर) का पुनरिक्षण कार्य किया जायेगा।
15	14	गृहकर संग्रहण में अनियमितताएँ	निदेश के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है।
16	15	शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस जमा नहीं	निदेश के आलोक में जमा कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
17	16	खतरनाक व्यवसाय से वसुली / कम वसुली	निदेश के आलोक में वसुली की कार्रवाई की जायेगी।
18	17	बकाया मोबाईल टावर शुल्क (₹0-2 लाख)	टावर से वसुली की गई है और शेष राशि के लिए वसुली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
19	18	बन्दोवस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं करने से मुद्रांक शुल्क की वसुली नहीं (₹0-0.44 लाख)	अंकेक्षण अपत्ति के आलोक में जमा कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
20	19	सैरात की बन्दोवस्ती की सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण कम करने से राजस्व हानि (₹0-0.25 लाख)	निदेश के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है।
21	20	योजनाओं की स्थिति	योजना पूर्ण हो गया है। कंडिका निरस्त केया जा सकता है।
22	21	एकल निविदा की अनियमित स्वीकृति (₹0-4.83 लाख)	निदेश के आलोक में अनुपालन किया जायेगा।
23	22	अनियमित भुगतान (₹0-0.20 लाख)	वसुली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
24	23	सफाई संयंत्रों के क्रय में अनियमितताएँ (₹0-6.60 लाख)	वसुली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

OK

25	24	सोलर स्ट्रीट क्रय में अनियमितताएं (रू0- 3.46 लाख)	भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।
26	25	श्रम सेस की कटौती नहीं (रू0- 9727.00)	संबंधक से वसुली कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
27	26	विज्ञापन मद में अनियमित व्यय (रू0- 12000.00)	यह व्यय जिला स्थापना दिवस के अवसर पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा आदेश के आलोक में की गई जिसकी सहमती नगर पंचायत बोर्ड से प्राप्त है। सुचनार्थ कडिका निरस्त किया जा सकता है।
28	27	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय (रू0- 5.40 लाख)	घटनोत्तर स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सुचनार्थ कडिका निरस्त किया जा सकता है।
29	28	मास्टर सौल में अधिक भुगतान	वसुली की कार्रवाई की जायेगी।
30	29	समायोजित राशि (रू0- 8.50 लाख)	अश्रीम समायोजन किया जा चुका है। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
31	30	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	कोई मंतव्य नहीं
32	31	लेखा परीक्षा का परिणाम	कोई मंतव्य नहीं
33	32	सामान्य अभियुक्ति	कोई मंतव्य नहीं


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नौखा
 नौखा

कार्यालय— नगर पंचायत, नोखा, जिला— रोहतास

अंकेक्षण संख्या :— 440 / 2013-14

अवधि वर्ष— 2011-12 से 2012-13 तक


क्रम संख्या	कंडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत नोखा का जवाब	अंकेक्षण अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	1	प्रस्तावना	सामान्य सूचना, कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
2	2	प्रशासन	सामान्य सूचना, कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
3	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	सामान्य सूचना, कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
4	4	आंतरिक लेखा परीक्षा	सामान्य सूचना, कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
		पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	सामान्य सूचना, कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
6	6	लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां	सामान्य सूचना, कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
7	7	अधिदृश्य (आय-व्यय)	आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कोई आपत्ति नहीं है। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
	8	अवशेष	सूचनार्थ कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	
	8 (1)	द्वादश वित्त आयोग	(क) करो की कटौती राशि को यथा शीघ्र शीर्ष में जमा कर दिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। (ख) निदेश के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है। (ग) निदेश के आलोक में अनुपालन किया जाएगा।	
8	8 (2)	प्रशासनिक व्यय मद	(क) निदेश के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है। (ख) निदेश के आलोक में अनुपालन किया जाएगा।	
	8 (3)	योजना कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों के क्रय विपत्रों से की गई कटौती को संबंधित राजस्व शीर्ष में कम जमा किया जाना। (1736966.00)	संबंधित शिर्ष में राशि जमा कर दिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।	
9	9	सरकारी अनुदान	अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है।	



10	10	वार्षिक लेखा	सूचनार्थ कंडिका निरस्त किया जा सकता है।
11	11	बजट	सूचनार्थ कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।
12	12	लेखा समिति	लेखा समिति की गठन करने की कार्रवाई की जा रही है।
13	13 (क)	भवन कर का अधिरोपण नहीं होना	निदेश के आलोक में तैयार किया जा रहा है।
13	13 (ख)	होलिडिंग का पुनरीक्षण एवं सड़को का वर्गिकरण नहीं किया जाना।	सड़को का वर्गिकरण तीन भागों में किया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
14	14	मांग एवं वसुली	सूचनार्थ।
14	14 (क)	विलोपित	सूचनार्थ।
14	14 (ख)	विलोपित	सूचनार्थ।
14	14 (ग)	संचार/मोबाईल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं राशि 0.66 लाख का बकाया।	टावर से वसुली की गई है और शेष राशि के लिए वसुली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
15	15 (क)	प्राप्त राजस्व संबंधित शीर्ष में जमा नहीं राशि 6.72 लाख ₹0	संबंधित राशि बैंक में जमा की गई है।
15	15 (ख)	सरकार के उचित शीर्ष में मुद्रांक शुल्क जमा नहीं	संबंधित राशि सरकार के उचित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
15	15 (ग)	होलिडिंग टैक्स को विलम्ब से जमा करने पर शास्ती की कम वसुली राशि 5237.00 ₹0	संबंधित होलिडिंग धारक से राशि वसुलने की कार्रवाई की जा रही है।
16	16	दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय (₹0-7.69 लाख)	सफाईकर्मी के आभाव में कार्य किया जा रहा जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
17	17	विज्ञापन मद पर अनियमित व्यय (₹0-1.84 लाख)	निदेश के आलोक में अनुपालन किया जायेगा।
18	18	विलोपित	
19	19	विलोपित	
20	20	निधि का अवरोधन	संबंधित शीर्ष में अवरोधन राशि सूद/अपूर्ण योजनाओं के कारण लब्धित है। निदेश के आलोक में शीघ्र व्यय किया जायेगा।

OR

21	21	संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पुरा नहीं करने के कारण शाशित राशि रू0- 336401.00	भविष्य के लिए निदेश अनुपालनार्थ अंकित। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।
22	22	एम बी अनुपलब्ध	संबंधित मापी पुस्त कनिय अभियंता के द्वारा प्राप्त किया गया था। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।
23	23	बिल्डिंग बायलोज के विरुद्ध नक्सा पारित करना	निदेश के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है।
24	24	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अनियमितता	भविष्य के लिए निदेश अनुपालनार्थ। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।
	25	बी आर जी एक	सूचनार्थ।
	25 (क)	विलोपित	सूचनार्थ।
25	25 (ख)	विलोपित	सूचनार्थ।
	25 (ग)	बिना प्राक्कलन के अनियमित व्यय राशि रू0- 1.56 लाख	भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
26	26	विलोपित	सूचनार्थ।
27	27	अग्रिम	अग्रिम राशि का समायोजन किया जा चुका है। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
28	28	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	कोई मंतव्य नहीं
29	29	लेखा परीक्षा का परिणाम	कोई मंतव्य नहीं
30	30	सामान्य अभियुक्ति	कोई मंतव्य नहीं


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नोखा
 01/05/15